

¹[नियम 95ख : कैटीन स्टोर्स विभाग द्वारा प्राप्त माल की आवक पूर्ति पर चुकाए गए कर का प्रतिदाय

- (1) नियम 95 में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैटीन भंडार विभाग की यूनिट संचालित कैटीनों को धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार कैटीन भंडार विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को ऐसे माल की पश्चात्कर्ती में पूर्ति के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त किए गए लागू केन्द्रीय कर के पचास प्रतिशत की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, प्रत्येक तिमाही में एक बार सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए** में वापसी के लिए आवेदन करेगा।
- (2) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए** में दाखिल माल की आवक पूर्ति पर संदत्त किए गए कर की वापसी के लिए ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में दाखिल किए गए प्रतिदाय के आवेदन के समरूप तरीके से निपटाया जाएगा।
- (3) आवेदक द्वारा संदत्त किए गए कर की वापसी तभी उपलब्ध होगी जब—
 - (क) माल की आवक पूर्ति एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त की गई थी और ऐसी पूर्ति का ब्यौरा उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में अपनी जावक पूर्ति के ब्यौरे में प्रस्तुत किया गया है और उक्त पूर्तिकर्ता ने संबंधित कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में अपनी विवरणी प्रस्तुत की है;
 - (ख) आवेदक का नाम तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित है; और
 - (ग) कैटीन स्टोर्स विभाग द्वारा माल को कैटीन स्टोर्स विभाग की यूनिट संचालित कैटीनों या कैटीन स्टोर्स विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को पश्चात्कर्ती पूर्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा नियम 95ख अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।